31

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 3126–दो/2013 – विरूद्व आदेश दिनांक 23–6–2012– पारित व्दारा – तहसीलदार अमरपाटन – प्रकरण कमांक 5 अ–12/2011–12

राघवेन्द्र प्रताप सिंह तनय जयकरण सिंह
ग्राम लालपुर तहसील अमरपाटन जिला सतना
हाल कृषक उपज मंडी बैढ़न जिला सिंगरोली ——आवेदक

विरूद्व

1–मन्नूलाल चौरसिया तनय प्रेमचन्द्र चौरसिया
ग्राम लालपुर तहसील अमरपाटन जिला सतना

2–म0प्र0शासन ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री सुरेश सेन)

आ दे श

(आज दिनांक 6 – 03 –2018 को पारित)

तहसीलदार अमरपाटन के प्रकरण कमांक 5 अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23–6–12 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने तहसीलदार अमरपाटन को आवेदन प्रस्तुत कर भूमि सर्वे कमांक 138/1 ख रकबा 0.032 है. तथा 142/1 क/1/2/2 रकबा 0.012 है0 के सीमांकन की मांग की। तहसीलदार अमरपाटन ने राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन को सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये , जिस पर से राजस्व निरीक्षक एंव

हलका पटवारी ने दिनांक 2—5—12 को सर्वे क्रमांक 142/1 क/1/2/2 रकबा 0.012 है0 का सीमांकन किया एंव सर्वे क्रमांक 138/1 ख रकबा 0.032 है. का न्यायालय में प्रकरण चलने से पक्षकारों की सहमति के आधार पर सीमांकन नहीं किया । राजस्व निरीक्षक अमरपाटन ने सीमांकन उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 2—7—12 प्रस्तुत किया, जिस पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार अमरपाटन ने पक्षकारों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 23—6—12 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने । आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन दिनांक 2—5—12 , मौके पर तैयार किये गये पंचनामे के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक अमरपाटन ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी कर दिनांक 2—5—12 को सीमांकन किया है एंव सीमांकन उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 2—5—12 प्रस्तुत कर बताया है कि सर्वे क्रमांक 142/1 क/1/2/2 रकबा 0.012 है0 का सीमांकन करने पर मौके पर 30 X 15 कड़ी = 450 वर्ग कड़ी में आवेदक व्दारा कच्चा खपरैल मकान बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत की है एंव तहसीलदार अमरपाटन ने उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 23—6—12 को आदेश पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है, जिसके कारण तहसीलदार के आदेश दिनॉक 23—6—2012 में किसी प्रकार की त्रृटि अथवा कमीवेशी नहीं जाती है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक ने अनावेदक क्र—1 से मिलकर गलत सीमांकन किया है एंव आवेदक की निजी भूमि पर बने मकान को गलत नाप दिया है। यदि आवेदक के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्क पर विचार किया

जाय, अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि प्रभावित होना मानता है तब आवेदक स्वयं की भूमि का अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार अमरपाटन व्दारा प्रकरण कमांक 5 अ—12/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 23—6—2012 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर